

नीति आयोग

प्रीलिमिन्स के लिये:

नीति आयोग.

मेन्स के लिये:

नीति आयोग, महत्त्व और चर्चाएँ।

चर्चा में क्यों?

[नीति \(नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया\) आयोग](#) के CEO अमिताभ कांत अपने पद छोड़ने वाले हैं और उनकी जगह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के पूर्व सचिव परमेश्वरन अय्यर लेंगे।

नीति आयोग:

■ पृष्ठभूमि:

- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए **अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार** की परिकल्पना की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था।
- इसके दो हब हैं।
 - टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।
 - ज्ञान और नवोन्मेष हब- नीति आयोग के थकि-टैक की भाँति कार्य करता है।

■ संयोजन:

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
- **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **संचालन परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- **क्षेत्रीय परिषद:** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति/मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- **तदर्थ सदस्यता:** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
- **पदेन सदस्यता:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- **वशिष्ट आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के वशिष्टज्ञ।

■ उद्देश्य:

- राज्यों के साथ नरिंतर आधार पर संरचित समर्थन पहल और तंत्र के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएँ बनाने के लिये तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इन्हें उत्तरोत्तर एकत्रित करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि विशेष रूप से इसे संदर्भित क्षेत्रों, **राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल किया गया है।**
- समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभ न मिलने का जोखिम हो सकता है।
- **प्रमुख हतिधारकों और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थकि टैकों** के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच सलाह प्रदान करना एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वशिष्टज्ञों, चकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से **ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली की स्थापना** करना।
- विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये **अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना।**

- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखने, सतत् और न्यायसंगत विकास में सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रह होने के साथ-साथ हतिधारकों के प्रसार में मदद करना ।


नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थकि टैंक के रूप में कार्य करता है ।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था ।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते है ।	इसमें सीमति विशेषज्ञता थी ।
यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं ।	राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शकों के रूप में भाग लिया ।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है ।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था ।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है ।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया ।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है ।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदति परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया ।
इसके पास नधि आवंटति करने का अधिकार नहीं है, जो वतित मंत्री में नहिति है ।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को नधि आवंटति करने का अधिकार था ।

नीति आयोग की स्थापना का महत्त्व:

- 65 वर्ष पुराना योजना आयोग **नरिस्थक संगठन बन गया** था । यह एक **नरिदेशति अरथव्यवस्था संरचना** में प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं ।
- भारत वविधिताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के वभिनिन चरणों में हैं, जनिकी अपनी भनिन-भनिन ताकतें और कमज़ोरियाँ हैं ।
- आर्थिक नयोजन के लयि सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है । यह आज की वैश्विक अरथव्यवस्था में भारत को प्रतसिपर्द्धी के तौर पर स्थापति नहीं कर सकता ।



#NITIaayog is based on the 7 Pillars of Effective Governance



संबंधित चर्चाएँ और चुनौतियाँ:

- नीतिआयोग के पास राज्यों को वविकाधीन धन देने का कोई अधिकार नहीं है, जो परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करने के लिये इसे असमर्थ बना देता है।
- यह केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है जो सरकार को अपने विचारों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित किये बना विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है।
- नज़ी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में नीतिआयोग की कोई भूमिका नहीं है।
- हाल के दिनों में संगठन का राजनीतिकरण हुआ है।
- नीतिआयोग को एक गौरवशाली सफ़ारशी निकाय में बदल दिया गया है, जिसके पास सरकार के कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिये आवश्यक

शक्तिका अभाव है।

नीतिआयोग की पहलें:

- [SDG इंडिया इंडेक्स](#)
- [समग्र जल प्रबंधन सूचकांक](#)
- [अटल इनोवेशन मशिन](#)
- [साथ परियोजना।](#)
- [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#)
- [सकूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक](#)
- [ज़िला अस्पताल सूचकांक](#)
- [स्वास्थ्य सूचकांक](#)
- [कृषिविपिनन और किसान हतिषी सुधार सूचकांक](#)
- [भारत नवाचार सूचकांक](#)
- [वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स](#)
- [सुशासन सूचकांक](#)

आगे की राह:

- नियोजन निकाय को आवश्यक शक्तियों से लैस करना ताकि विह परविरतन को प्रभावति कर सके।
- पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की ज़रूरत है।
- लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के लिये इसे वधियकि के प्रतिकानूनी रूप से जवाबदेह बनाया जा सकता है।
- सुनिश्चति करें कि नियोजन निकाय एक गैर-पक्षपाती संस्था बना रहे।
- नौकरशाही की जड़ता को हलिलाने की ज़रूरत है, इसमें वशिषज्जता और प्रदर्शन के आधार पर जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है।

स्रोत: द हद्दि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/niti-aayog-67>

